राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 887/2016/भरतपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रिद्धि सिद्धि एन्टरप्राईजेज, भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/05/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 169/आरवेट/2014–15/अपी.प्राधि./भरतपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रस्तुत प्रकरण में वक्त जांच वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल 'कन्फैक्शनरी आईटम' से सम्बन्धित बिल व बिल्टी प्रस्तुत किये गये, जिनके अनुसार माल का परिवहन भरतपुर से पाली के लिये किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त वाहन चालक द्वारा उक्त माल से सम्बन्धित ग्वालियर से भरतपुर के दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। सक्षम अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत रूपये 1,44,875/– की शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि ग्वालियर से भरतपुर एवं भरतपुर से पाली के दस्तावेजों में भिन्नता है, जबकि उक्त आधार पर वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों के उल्लंघन का कोई प्रकरण नहीं बनता है। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण से पूर्व माल के दस्तावेज, जो कि भरतपुर से पाली के बने हुए थे,

लगातार.....2

उन्हें दूषित प्रमाणित करना आवश्यक था, किन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा किसी जांच से ऐसा किया जाना पत्रावली से प्रकट नहीं होता हैं ना ही सक्षम अधिकारी द्वारा माल का भौतिक सत्यापन ही किया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के ग्वालियर से भरतपुर एवं भरतपुर से पाली के दस्तावेजों में भिन्नता को आधार बनाते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतया अविधिक है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी ने यह स्पष्ट वर्णित किया है कि व्यवहारी का जो माल ग्वालियर से आया था उसी माल को आगे पाली की फर्म को विक्रय किया गया है, जिसके बिल जारी किये हुए थे एवं माल की बिना किसी अनलोडिंग एवं जांच के, माल के दस्तावेज एवं माल में जो भिन्नता बताई है वह आधारहीन है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नही की गई है।

4. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य